FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0027 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/02/2024 17:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/02/2024 **Time (समय):** 16:25 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/02/2024 17:18:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Out sideThasil off.Delwara, Delwara Rajsamand

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Shayamlal Dangi

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Vardichander Dangi

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Chota Bedla, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Chota Bedla, Badgaon, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9351446811

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Pankj Khateek		पिता:Nathu lal Khateek	1. Khateek Mohlla,Delwara,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2024 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी पुत्र श्री वरदीचन्द्र डांगी निवासी छोटा बेदला, तहसील बडगांव, उदयपुर ने ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "मैने और मेरे मित्र बाबुलाल डाँगी ने संयुक्त रूप से 2 बीघा कृषि भूमि गाँव घोडच तहसील देलवाडा में खरीदी, जमीन कि रजिस्ट्री दिसम्बर 2023 में करवाई उसके बाद मैने रजिस्ट्री कि फोटो प्रति और ओरिजनल कॉपी पटवारी हल्का घोडच को दि पटवारी हल्का घोडच ने ओरिजनल को देखकर फोटो कॉपी रख ली और कहा कि नामान्तरण करवा दूंगा लेकिन नामान्तरण कि फिस और साहब कि फिस दे दो जिस पर मैने कहा कि मेरे पास अभी नहीं है बाद में नकल लेने आयेगो तब देगे। उसके बाद मैने 3-4 दिन पूर्व पुनः फोन करके पुछा कि नामान्तरण हुआ या नहीं तो पटवारी साहब ने कहा नहीं हुआ हमारे से रजिस्ट्री कि प्रति गुम गई है। कल दिनांक 8/2/24 को शाम को 6-7 बजे पटवारी साहब का फोन आया और मुझे 5000 रू नामान्तरण फिस और रजिस्ट्री कि नकल 9/2/24 को लाने के लिए कहा। अतः पटवारी पंकज जी खटीक पटवार क्षेत्र घोडच को मैं रिश्वत कि राशि नहीं देना चाहता हूँ उक्त पटवारी के से मेरी कोई दुशमनी नहीं है न ही मैने उससे रूपये उधार लिए है। कानुनी कार्यवाही करना फरमावे।" परिवादी से उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मजीद पूछताछ की गई। परिवादी ने बताया कि उक्त रिपोर्ट शब्द-ब-शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधित 2018) में वर्णित अपराध की परिधि का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी मांग सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही की समझाईष कर मांग सत्यापन वार्ता करने के लिये कहा तो परिवादी ने बताया " श्री पंकज खटीक पटवारी पटवार हल्का घोडच अभी तहसील कार्यालय देलवाडा पर मिल जायेंगे, उनसे वहां मांग सत्यापन वार्ता हो जायेगी।" जिस पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित श्री टीकाराम कानि 476 से कार्यालय की आलमारी में से सोनी कंपनी का डिजिटल वाइस रिकार्डर बरंग काला मय रिक्त मेमोरी कार्ड मंगवा कर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी का आपस में परिचय करवा एक दुसरे के मोबाईल नम्बर सुरक्षित करवाये गये। परिवादी को डिजिटल वायस रिकोर्डर में वार्ता को रिकार्ड करने तथा वायस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई की गई। श्री टीकाराम कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री श्यामलाल के साथ तहसील कार्यालय देलवाडा जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु निर्देषित कर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी की निजी वाहन कार से रवाना किया । तत्पश्चात् समय 06.00 पीएम पर श्री टीकाराम कानि ब्यूरो कार्यालय पर पंहुचा और श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार मैं व परिवादी श्री श्यामलाल डांगी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 04.20 पीएम पर कार्यालय तहसीलदार देलवाडा, जिला राजसमन्द पंहुच। परिवादी श्री श्यामलाल डांगी को रिश्वत राशि मांग वार्ता करने एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया समझाईष की गई। समय करीब 04.20 पीएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी को सुपुर्द कर तहसील कार्यालय देलवाडा की तरफ रवाना किया, मैं आस-पास ही छुपाव हासिल कर परिवादी के इन्तजार में रहा। लगभग 15 मिनट बाद परिवादी श्री श्यामलाल मेरे पास आया, मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया, जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि "श्री पंकज खटीक पटवारी कार्यालय में नही है" जिस पर आरोपी श्री पंकज खटीक की लोकेषन की जानकारी हेतु परिवादी को कहा तो परिवादी ने उसके मोबाईल नम्बर 9351446811 से आरोपी श्री पंकज खटीक के मोबाईल नम्बर 6377782965 पर कॉल लगाया तो आरोपी श्री पंकज खटीक ने कॉल कट कर दिया। समय करीब 04.36 पीएम पर आरोपी श्री पंकज खटीक के मोबाईल नम्बर 6377782965 से परिवादी श्री श्यामलाल के मोबाईल नम्बर 9351446811 पर व्हाॅट्सएप वाईस कॉल आया। जिस पर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ओन कर वार्ता करवायी गई तो आरोपी श्री पंकज खटीक ने परिवादी से कहा कि देलवाडा तहसील कार्यालय के सामने स्थित ई-मित्र की दुकान पर श्री कमल कुमार पालीवाल वकील मिलेंगे उनको ही कागज दे देना मैं राजसमन्द हू, परिवादी द्वारा पांच हजार तो ज्यादा है सर थोडा रिजनेबल बैठाओ कहने पर आरोपी ने कहा कि वकील

साहब से पूछ लेना वो जो बोले वो दे देना" उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 04.43 पीएम पर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी को आरोपी श्री पंकज खटीक से हुई वार्ता अनुसार वकील श्री कमल कुमार पालीवाल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर तहसील कार्यालय के बाहर स्थित ई-मित्र की दुकान की तरफ रवाना किया, मैं आस-पास ही छुपाव हासिल कर परिवादी के इन्तजार में रहा। लगभग 20 मिनट बाद परिवादी श्री श्यामलाल मेरे पास आया, मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया, जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा।" परिवादी ने बताया कि " मैं ई-मित्र की दुकान पर गया जहा श्री कमल कुमार पालीवाल वकील मौजुद मिले, जिन्होंने मुझसे पाॅच हजार रूपये व रजिस्ट्री की फोटो प्रति व संबंधित दस्तावेज देने के लिये कहाॅ, मेरे द्वारा पाॅच हजार रूपये में से कुछ कम करने के लिये आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि पटवारी श्री पंकज खटीक से ही इस संबंध में वार्ता करो, जिस पर मेरे द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर 9351446811 से पटवारी श्री पंकज खटीक के मोबाईल नम्बर 6377782965 पर व्हाट्सएप वाईस कॉल कर मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड आन कर वार्ता की तो पटवारी साहब ने मुझे कहा कि हजार पाच सौ कम कर दो तथा सोमवार को रूपये देने के लिये कहा, और कहा कि सोमवार को रूपये दे दोगे तो अगले सोमवार तक नामान्तरण का काम हो जायेगा, आज दोगे तो इस सोमवार को ही हो जायेगा। वकील श्री कमल कुमार से वार्ता के बाद मैं ई-मित्र की दुकान से बाहर आकर आपके पास आ रहा था कि रास्ते में श्री पंकज खटीक पटवारी का मेरे मोबाईल पर व्हाट्सएप वाईस कॉल आया जिस पर मैंने मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड आन कर वार्ता कि तो पटवारी श्री पकंज खटीक ने मुझे कहा कि अभी कितने लाये हो तो मैंने कहा कि अभी तो मैं पांच सौ- सात सौ रूपये लेकर आया हू। पटवारी श्री पंकज ने कहा कि अभी कागज दे दो इनको।" उक्त वार्ता को मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड कर लिया है। तत्पश्चात मैं व परिवादी वहाॅ से रवाना होकर भुवाणा चैराहा उदयपुर पंहुचा जहा परिवादी ने मुझे कहा कि मैं अभी आपके साथ कार्यालय पर नही आ सकता मुझे आवष्यक काम से कही जाना है। जिस पर निर्देषानुसार परिवादी श्री श्यामलाल डांगी को गोपनियता रखने की हिदायत देकर 5,000/- रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सोमवार को प्रातः 09.30 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने तथा पटवारी श्री पंकज खटीक द्वारा सम्पर्क करने पर इसकी सूचना तुरन्त ब्यूरो कार्यालय पर देने के लिये हिदायत कर रूकसत किया। मैं वहा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया।" श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर रिकाॅर्डषुदा वार्ता को सुना गया तो श्री टीकाराम कानि द्वारा बताये गये तथ्यों की पुश्टि होना पाया गया। श्री पुश्कर लाल हैडकानि को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस रनिंग नोट एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की ब्यूरो मुख्यालय पर दिनांक 12.02.2024 को टेनिंग नियत होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर को निवेदन किया गया। जिस पर आदेशानुसार परिवादी श्री श्यामलाल डांगी की रिपोर्ट पर श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एसयू, उदयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। दिनांक 12.02.2024 समय 10.15 ए.एम. पर श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एसयू, उदयपुर द्वारा ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से परिवादी श्री श्यामलाल डांगी की रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस रनिग नोट एवं कार्यवाही से संबंधित डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी से आपस में परिचय करवाया, परिवादी की लिखित रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस रनिग नोट एवं कार्यवाही से संबंधित डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देषित किया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर दिनांक 09.02.2024 को परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी पटवार मण्डल घोडच एवं वकील श्री कमल कुमार पालीवाल के मध्य हुई वार्ता को सूना गया एवं परिवादी श्री श्यामलाल डांगी से मजिद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि श्री पंकज खटीक पटवारी ने मुझे आज रूपयो की व्यवस्था कर बुलाया था। जिस पर मैं 5000/- रुपये की व्यवस्था कर अपने साथ लाया हू। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय उपस्थित स्टाॅफ को निर्देषित कर कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह की आवष्यकता होने से श्रीमान उपवन संरक्षक, वन विभाग, उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर प्रेषित की गई। समय 02.35 पी.एम. पर कार्यालय उपवन संरक्षक वन विभाग उदयपुर के मनोनित गवाह श्री रामलाल बरण्डा पुत्र श्री हरिया जी उम्र 52 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट माण्डँवा खापेडा, जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर व श्री योगेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जी उम्र 28 वर्ष, निवासी 67, अम्बेडकर नगर, पाली, जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री श्यामलाल डांगी का परिचय आपस कराया जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का पढकर सुनाया तथा दिनंाक 09.02.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओ जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकाॅर्ड की गई थी, डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लैपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को सुनाया गया तो दोनो गवाहान द्वारा भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करने की पृश्टि हुई। परिवादी ने रिपोर्ट स्वंय हस्तलिखित हो शब्द ब शब्द सही होने की ताईत की। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर की जा रही अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर सरकारी स्वंतत्र गवाह के रूप में सम्मिलित रहने हेतु सहमति चाही गई

तो दोनों गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी गई। परिवादी श्री श्यामलाल डांगी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय 02.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री श्यामलाल डाँगी से सदिंग्ध आरोपी पंकज खटीक पटवारी की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेष करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वंतत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तत्पश्चात श्री अजय कुमार कानि. 456 से कार्यालय की आलमारी में सें फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 5,000/- रूपयें के समस्त नोटों के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटों को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट में आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री भारत सिंह कानि. 441 से एक प्लास्टक के पारदर्षी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर तो घोल का रंग रंगहिन रहा, उक्त घोल को उपस्थितिनो को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहिन घोल में श्री अजय कुमार कानि. 456 की अंगुलियों व अंगुश्ठ जिन पर फिनाॅफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुश्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुश्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री अजय कुमार कानि. से बाहर नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यो के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्री अजय कुमार कानि. को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में रखने और ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की आवष्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय 03.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ का आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देषित कर दोनो गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादी द्वारा आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पहनी हुई गर्म टोपी को उतारकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर पर मिस कॉल करने का ईशारा निर्धारित किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सुरक्षित करवाये गये। समय 03.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रदीप भण्डारी कानि 169 को सरकारी मोटर साईकिल पर मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री श्यामलाल डांगी के साथ पटवार मण्डल घोडच की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री रामलाल बरण्डा व श्री योगेश कुमार, श्री सुरेश कुमार सउनि, श्री चन्द्रकान्त हैडकानि. 18, श्री भारतसिंह कानि, 441, श्री टीकाराम कानि 476, श्री दिनेश कुमार कानि 266 मय प्राईवेट टेक्सी वाहन इनोवा मय प्राईवेट चालक मय ट्रैप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर व आवष्यक संसाधन के उनके पिछे-पिछे घोडच, जिला राजसमन्द की तरफ रवाना होकर समय करीब 04.30 पीएम पर पंहुचे। जहा श्री प्रदीप भण्डारी कानि 169 व परिवादी श्री श्यामलाल डांगी ने बताया कि हम पटवार मण्डल घोडच की तरफ गये थे तो कार्यालय पटवार मण्डल पर ताला लगा हुआ होकर बन्द है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध आरोपी की लोकेषन की जानकारी करने हेतु समय करीब 04.37 पीएम पर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी के मोबाईल नम्बर 9351446811 से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नम्बर 6377782965 पर जरिये व्हाट्सएप वाईस कॉल कर लाउड स्पीकर मोड ओन कर वार्ता करवायी तो संदिग्ध आरोपी श्री पंकज खटीक ने तहसील कार्यालय देलवाडा पर मिलने हेतु बताया। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। समय 04.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रदीप भण्डारी कानि 169 को सरकारी मोटर साईकिल पर मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री श्यामलाल डांगी के साथ तहसील कार्यालय देलवाडा की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट टेक्सी वाहन इनोवा मय प्राईवेट चालक के उनके पिछे-पिछे तहसील कार्यालय देलवाडा की तरफ रवाना हो समय करीब 05.00 पीएम पंहुचे। जहा वाहनों को साईड में खडा करवा श्री प्रदीप कानि से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी श्री श्यामलाल डांगी को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर तहसील कार्यालय देलवाडा की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के तहसील कार्यालय देलवाडा के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में रहे। करीब 15 मिनट बाद श्री

प्रदीप कुमार कानि ने जरिये मोबाईल बताया कि परिवादी श्री श्यामलाल डांगी करीब 10 मिनट बाद तहसील कार्यालय देलवाडा से बाहर आकर मेरे पास आया मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया जिसे मैंने बन्द कर मेरे पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि तहसील कार्यालय के अन्दर गया तो वहा पर पटवारी श्री पंकज खटीक मौजुद नही मिले। मेरे द्वारा मालुमात की गई तो ज्ञात आया कि वो किसी काम से कही गये हुए थोडी देर बाद वापस आयेगें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप कानि को परिवादी श्री श्यामलाल के साथ तहसील कार्यालय देलवाडा के आस-पास ही पटवारी श्री पंकज खटीक के तहसील कार्यालय पर आने का इन्तजार करने एवं पटवारी श्री पंकज खटीक के आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित कर श्री श्यामलाल डांगी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर देकर लेन देन वार्ता हेतु रवाना करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 05.38 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर श्री प्रदीप कानि ने कॉल कर बताया कि श्री पंकज खटीक पटवारी, कार्यालय तहसीलदार देलवाडा पर आ गया है जिसे देखकर परिवादी ने मुझे बताया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रदीप कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर ओन कर परिवादी को देकर लेन देन वार्ता हेतु रवाना करने की हिदायत दी। समय करीब 05.48 पीएम पर श्री प्रदीप कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि परिवादी द्वारा अपने सिर पर पहनी हुई गर्म टोपी को उतार कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित इशारे कर दिया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के प्राईवेट वाहन से देलवाडा तहसील कार्यालय के बाहर श्री प्रदीप कानि के पास पंहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक, श्री प्रदीप कानि मय हमराहियान के तहसील कार्यालय के बाहर स्थित ई-मित्र की दुकान के बाहर खडे परिवादी श्री श्यामलाल के पास पहुचे। परिवादी श्री श्यामलाल डांगी ने ई-मित्र की दुकान के बाहर खडे एक व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि ये ही श्री पंकज खटीक पटवारी है। आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी के बाये हाथ को ब्यूरो टीम के कानि श्री दिनेश कुमार द्वारा एवं दाहिने हाथ को श्री भारत सिंह कानि द्वारा कलाई से उपर बाजुओ से पकडा गया। इसी दौरान परिवादी श्री श्यामलाल डांगी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे बन्द कर स्वंय के पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री पंकज खटीक को स्वंय का एवं हमराहियान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करा उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री पंकज खटीक पुत्र श्री नाथुलाल खटीक, उम्र 30 वर्ष, निवासी खटीक मोहल्ला, देलवाडा, राजसमंद हाल पटवारी, पटवार मण्डल घोडच, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द होना बताया। परिवादी श्री श्यामलाल डांगी ने बताया कि श्री पंकज खटीक पटवारी ने मांग अनुसार मुझसे 5000/- रुपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पिछे की दाहिने जेब में रखे। आरोपी श्री पंकज खटीक को यथास्थिति में तहसील कार्यालय देलवाडा के अन्दर गये जहां तहसीलदार श्री आषिश सोनी उपस्थित मिले, जिन्हे स्वंय का एवं हमराहियान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक सुरक्षित कक्ष की व्यवस्था हेतु निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा कमरा नम्बर 04 नायब तहसीलदार का कक्ष अग्रिम कार्यवाही करने हेतु उपलब्ध करवाया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री पंकज खटीक से परिवादी की ओर ईशारा कर 5,000/- रूपये रिश्वत राशि किस बात के ग्रहण किये हैं के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि ग्रहण नही की है, श्री श्यामलाल डांगी ने जबरन मेरी जेब में रूपये डाले है। जिस पर परिवादी श्री श्यामलाल डाँगी ने बोला कि श्री पंकज खटीक पटवारी साहब झूठ बोल रहे है। मैंने कोई भी राशि जबरन इन्हे नही दी है इनकी मांग करने पर ही दी है। मेरे और मेरे मित्र बाबुलाल डाँगी ने संयुक्त रूप से 2 बीघा कृषि भूमि गाँव घोडच तहसील देलवाडा में खरीदी। जमीन की रजिस्ट्री दिसम्बर 2023 में करवाई उसके बाद मैने रजिस्ट्री की फोटोप्रति और ओरिजनल काॅपी पटवारी साहब को दी थी। पटवारी साहब ने ओरिजनल दस्तावेज को देखकर फोटो कापी अपने पास रख ली और कहा कि नामान्तरण करवा दूंगा लेकिन नामान्तरण की एवज में रिश्वत राशि 5000/- रुपये की मांग की। जिस पर मैने कहा कि मेरे पास अभी इतने रूपये नहीं है बाद में नकल लेने आउंगा तब दे दूंगा। उसके बाद मैने 3-4 दिन पूर्व पटवारी साहब को पुनः फोन करके पूछा कि नामान्तरण हुआ या नहीं तो पटवारी साहब ने कहा नहीं हुआ हमारे से रजिस्ट्री की प्रति गुम गई है। दिनांक 08.02.2024 को शाम को 6-7 बजे पटवारी साहब का फोन आया और मुझसे 5000/- रूपये नामान्तरण फीस और रजिस्ट्री की नकल दिनांक 09.02.2024 को लाने के लिए कहा। जिस पर मेरे द्वारा इस संबंध में एसीबी उदयपुर पर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान भी जरिये व्हाट्सएप वाईस कॉल मेरे व पटवारी श्री पंकज खटीक के मध्य हुई वार्ता में इन्होने मुझे रिश्वत राशि के रूप में 5000/- रूपये की मांग की। रिश्वत राशि देने के बाद ही नामान्तरण खोलना बताया तथा रिश्वत राशि लेकर आज बुलाया था। जिस पर मैने अभी-अभी श्री पंकज खटीक पटवारी साहब को उनकी मांग अनुसार रिश्वत राशि 5,000/- रूपये दी है, जो इन्होंने अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे हैं। तत्पश्चात श्री पंकज खटीक से इस संबंध में पूछने पर कहने लगा मुझसे गलती हो गई मेरा प्रोबेषन खत्म नही हुआ है मैं आयन्दा ऐसी गलती नही करूंगा मुझे छोड दो। आरोपी श्री पंकज खटीक द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण की सत्यता के प्रमाणन हेतु धोवन की कार्यवाही की जानी है। श्री टीकाराम कानि से प्राईवेट वाहन में रखे ट्रैप बोक्स व लैपटॉप, प्रिन्टर को नायब तहसीलदार के कमरा नम्बर 04 में मंगवाया जाकर श्री टीकाराम कानि से ही टेपबोक्स में रखे साफ प्लास्टिक के दो पारदर्षी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर तहसील कार्यालय देलवाडा में रखे पानी के मटके से साफ पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलासो में श्री टीकाराम कानि से ट्रैप बोक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट

की शीशी से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुष्ठ को दूसरे पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला झाईदार हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री योगेष कुमार से आरोपी श्री पंकज खटीक की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट बरंग काला की पिछली दाहिनी जेब में 500-500 के कुछ नोट बरामद हुए एवं सामने की दाहिनी जेब से मोबाईल Infinix NOTE 12 Pro 5G बरंग काला मिला। मोबाईल का स्वतंत्र गवाह श्री योगेष कुमार के पास सुरक्षित रखने हेतु हिदायत दी गई मोबाईल को अलग से जरिये फर्द जप्त किया जायेगा। बरमाद्शुदा रिश्वत राशि को हमराहियान के समक्ष श्री योगेश कुमार से गिनवाया गया तो 500-500 से 10 नोट कुल 5,000/- रुपये होना बताया तथा जिनके नम्बरो को मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेश्काशी नोट से करवाया गया उपस्थित के समक्ष हुबहू निम्नानुसार होना पाया गया।

क्र.स. नोट का प्रकार
नोटो के नम्बर

1 500 रूपये का एक नोट नंबर
0 GF 913504

2 500 रूपये का एक नोट नंबर
4 BQ 108024

3 500 रूपये का एक नोट नंबर
9 UB 319961

4 500 रूपये का एक नोट नंबर
7 RS 715426

5 500 रूपये का एक नोट नंबर
0 MN 714800

6 500 रूपये का एक नोट नंबर
8 MD 358752

7 500 रूपये का एक नोट नंबर
4 VC 828220

8 500 रूपये का एक नोट नंबर
2 LB 367674

9 500 रूपये का एक नोट नंबर
4 QM 808673

10 500 रूपये का एक नोट नंबर
8 QN 569647

उक्त बरामदषुदा रिश्वत राशि 500-500 के 10 नोट कुल 5,000/- रुपये गुलाबी रंग के कागज में सिलचिट किया जाकर चिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। आरोपी की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट बरंग काला की पिछली दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से धोवन लेने की कार्यवाही वांछित होने से आरोपी श्री पंकज खटीक के लिये नई पेन्ट मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट ससम्मान उतरवाकर नई पेन्ट पहनवायी गई। तत्पश्चात कानि0 श्री टीकाराम से ट्रैप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर तहसील कार्यालय देलवाडा में रखे पानी के मटके से साफ पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलास में श्री टीकाराम कानि से सोडियम कार्बोनेट की शीशी में से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। इस पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के घोल में मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार श्री टीकाराम कानि ने आरोपी श्री पंकज खटीक की जिन्स की पेन्ट बरंग काला की पिछली दाहिनी जेब उल्टा कर धुलवाई गई तो धोवन का रंग

आगे रूपये नही देने पडते है, मैंने मेरे लिये ही 5,000/- रुपये की मांग की है। आरोपी श्री पंकज खटीक से श्री कमल कुमार पालीवाल एडवोकेट को परिवादी श्री श्यामलाल से रूपये दिलाने के संबंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैंने श्री कमल कुमार वकील को कहा था कि मैं काम से राजसमन्द कि तरफ गया हुआ हूँ मेरी श्री श्यामलाल डाँगी से रूपयो की लेन देन है वो जब आये तब पांच हजार रूपये ले लेना तथा उनके भूखण्ड नामान्तरण से संबंधित दस्तावेज भी लेने है वो भी आप लेकर रख लेना मैं जब तहसील कार्यालय देलवाडा आउंगा तब आपसे ले लुंगा। उनको रिश्वत राशि लेने के संबंध में कोई जानकारी नही है। समय 06.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी श्री श्यामलाल डाँगी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द मुर्तिब की गई। सुरक्षा की दृष्टी से अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु समय 06.55 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी के प्राईवेट टेक्सी वाहन इनोवा एवं सरकारी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय देलवाडा से रवाना होकर समय करीब 7.05 पीएम. पर पुलिस थाना देलवाडा पंहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना देलवाडा के थानाधिकारी श्री रमेश चन्द्र मीणा, पुलिस उप निरीक्षक को स्वंय का एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराने पर थानाधिकारी कक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया। तत्पश्चात् 07.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह, श्री टीकाराम कानि मय प्राईवेट टेक्सी वाहन इनोवा मय चालक के रवाना होकर आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी के रिहायशी मकान खटीक मोहल्ला, देलवाडा, राजसमंद पंहुच नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा पुलिस थाना देलवाडा के लिये रवाना होकर समय करीब 08.10 पी.एम. पंहुचा। तत्पश्चात् समय 09.00 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा दिनांक 09.02.2024 को समय करीब 04.33 पीएम व 04.43 पीएम पर परिवादी व आरोपी के मध्य जरिये व्हाट्सएप वाईस कॉल कर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट फर्द में अंकित की जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री पंकज खटीक व परिवादी श्री श्यामलाल डाँगी को दोनो स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो दोनों ने अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की। उक्त वार्ता एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा मूल सीडी को प्लास्टिक के सीडी कॅवर मे सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट करवायी जाकर मार्क 'A' दिया गया। उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 10.30 पी.एम. पर दिनांक 12.02.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य समय करीब 04.37 पीएम हुई व्हाट्सएप वाईस कॉल मोबाईल वार्ता एवं समय करीब 05.44 पीएम पर वक्त रिश्वत राशि लेन देन रूबरू हुई वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट फर्द में अंकित की जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री पंकज खटीक व परिवादी श्री श्यामलाल डाँगी को दोनो स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो दोनों ने अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की। उक्त वार्ता की एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी पर संबंधितां के हस्ताक्षर करा मूल सीडी को प्लास्टिक के सीडी कॅवर मे सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट करवायी जाकर मार्क 'B' दिया गया। उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 13.02.2024 समय 12.10 ए.एम. दौराने ट्रैप कार्यवाही परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता की रिकार्डिंग हेतु ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB बरंग लाल एवं गे्र को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकलवा कर मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थेली में सीलबंद कर मार्क 'M' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 12.40 ए.एम. अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री पंकज खटीक पुत्र श्री नाथुलाल खटीक, उम्र 30 वर्ष, निवासी खटीक मोहल्ला, देलवाडा, राजसमंद हाल पटवारी, पटवार मण्डल घोडच, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 41(क) सीआरपीसी के प्रावधानों की पालना कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 01.00 ए.एम. पर आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी का मोबाईल फोन Infinix NOTE 12 Pro 5G, बरंग काला को मय सिम वजह सबुत जप्त कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क 'M-1' अंकित किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी को उसकी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहने हेतु तहरीर दी गई तो मूल ही तहरीर पर आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करने हेतु अंकित किया गया। समय करीब 05.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री सुरेश कुमार सोनी स.उ.नि., श्री चन्द्रकान्त व्यास हैड कानि., श्री प्रदीप भण्डारी कानि., श्री दिनेश कुमार कानि., श्री भारत सिंह कानि. एवं श्री टीकाराम कानि. मय परिवादी श्री श्यामलाल डांगी मय गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी मय प्राईवेट वाहन मय चालक मय ट्रैप बोक्स मय जप्तशुदा आर्टिकल्स, लैपटॉप, प्रिन्टर व आवष्यक संसाधन के पुलिस थाना देलवाडा राजसमंद से रवानगी रपट दर्ज करवा ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना हुए। समय करीब 06.20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना हाथीपोल, उदयपुर पंहुच आरोपी श्री पंकज खटीक को पुलिस थाना हाथीपोल की हवालात में पहरा संतरी की निगरानी में रखने हेतु थाना डीओ को तेहरीर देकर दाखिल हवालात करवाया जाकर वहा से रवाना होकर

ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पंहुच जप्तशुदा मालखाना आटिकल्स, डिजीटल टेप रिकॉर्डर व ट्रेप बॉक्स को श्री सुरेश कुमार सोनी स.उ.नि. को सम्भलाकर मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को रूकसत किया गया। समय करीब 12.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री भारत सिंह कानि 441 एवं श्री राजेश कानि 263 ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो पुलिस थाना हाथीपोल उदयपुर पंहुचे आरोपी श्री पंकज खटीक को प्राप्त कर आरोपी का राजकीय महाराण भूपाल चिकित्सालयए उदयपुर से स्वास्थ्य परिक्षण की रिपोर्ट प्राप्त कर हाजिर आये। समय करीब 3.15 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी के ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात क्रम संख्या 01 उदयपुर पहुच आरोपी को मय रिमाण्ड एवं पत्रावली के पेश करने पर आरोपी को 15 योम जेसी आदेशित किया जाने पर नियमानुसार केन्द्रिय कारागृह उदयपुर पर जमा करा रसीद प्राप्त कर कार्यालय पर उपस्थित हुआ।इस प्रकार आरोपी श्री पंकज खटीक पटवारी पटवार मण्डल बडाभाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द वर्तमान प्रतिनियुक्ति पर पटवार मण्डल घोडच तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरपयोग कर वैध पारिश्रमिक के अलावा परिवादी श्री श्यामलाल डांगी से परिवादी व उसके मित्र बाबुलाल डाँगी द्वारा संयुक्त रूप से 2 बीघा कृषि भूमि गाँव घोडच तहसील देलवाडा में खरीदी जिसकी रजिस्ट्री दिसम्बर 2023 में करवाई गई थीए उक्त रजिस्ट्री का नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत राशि 5000 रुपये की मांग कर दिनांक 12.02.2024 को मांग अनुसार परिवादी श्री श्यामलाल डांगी से रिश्वत राशि 5000 रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पिछली दाहिनी जेब में रखना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री पंकज खटीक पुत्र श्री नाथुलाल खटीक उम्र 30 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला देलवाडा राजसमंद पटवारी पटवार मण्डल बडाभाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द वर्तमान प्रतिनियुक्ति पर पटवार मण्डल घोडच तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय(रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोएसयू, उदयपुर....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदपुर एस.यू. के माध्यम से श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक ने जरिये ईमेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पंकज खटीक पुत्र श्री नाथुलाल खटीक, पटवारी, पटवार मण्डल बडाभाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द वर्तमान प्रतिनियुक्ति पर पटवार मण्डल घोडच, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद को सुपुर्द कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा आम रपट संख्या 205 पर अंकित है।
(विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांकः- 135-38 दिनांक 14.02.2024
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।।2.जिला कलक्टर, राजसमन्द।3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANSHA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/02/2024 17:22:31

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/07/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)